संख्या-40/2026/49-3099/76/2026/(I/1492140/2026)

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग- 3 लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में यू०पी0 कोऑपरेटिव फेडरेशन लि0 (पी0सी0एफ0) के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-I/810770/2026/लेखा-अ/2026-27, दिनांक 30.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से यू०पी0 कोऑपरेटिव फेडरेशन लि0 (पी0सी0एफ0) के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किये जाने हेतु कार्ययोजना एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखाशीर्ष 2425-सहकारिता, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 08-यू0पी0 कोऑपरेटिव फेडरेशन लि0(पी0सी0एफ0), 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु0 100.00 लाख के सापेक्ष रूपये 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है :-

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026- 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्ष 2425-सहकारिता, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 08-यू0पी0 कोऑपरेटिव फेडरेशन लि0(पी0सी0एफ0) के मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों में ई-आफिस लागू किया जाना, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 100.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 50.00 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल अधोलिखित नियम/शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगें कि अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त पर व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश स्वस्तर से कर लेंगे।

(13) धनराशि का आहरण राजकोष में तातकालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(14) इस सम्बन्ध में सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा जेम पोर्टल से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के सम्बन्ध में निर्गत दिशा- निर्देश का शत -प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ का होगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित गाइड लाइन/दिश-निर्देशों तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रश्नगत योजना की शासनादेश संख्या-1/1445468/2026, दिनांक 27-08-2026 दवारा निर्गत कार्य योजना में दिये गये दिशा-निर्देश एवं राज्य सरकार के सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026- 231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन न हो यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000.00 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026- 27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 018 लेखा शीर्षक 2425000010800 यू.पी.को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., लखनऊ (पी.सी.एफ) के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किया जाना मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-2-171-X-2026-27-दिनांक: 9-10-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) निजी सचिव,मा० राज्य मंत्री जी(स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग,उ०प्र० शासन।
4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ०प्र० शासन।
5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6) अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक(क्र0वि0),सहकारिता विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
7) वित्त नियंत्रक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ।
9) आहरण-वितरण अधिकारी, मुख्यालय सहकारिता,उ0प्र0 लखनऊ।
10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
11) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।